

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना फेज-VII के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भंसाडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण लम्बाई 10.40 कि०मी० क्षेत्रफल 3.64 है० मोटर मार्ग का निर्माण।

जनपद: उत्तरकाशी

ब्लाक: नौगांव

फेज-7

उक्त मोटर मार्ग की जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फेज-7 में विस्तृत सर्वेक्षण, डी०पी०आर० एवं पैकेज गठन तथा मार्गों के समरेखण में पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव बनाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को वनभूमि हस्तान्तरण प्रेषित किये जाने हेतु शा०दे०सं० 98/पी 1/-06 (VI) यू.आर.आर.डी.ए./05 दिनांक 30.01.2006 द्वारा प्रशानिक स्वीकृति 12 कि०मी० लम्बाई हेतु प्राप्त है। विस्तृत सर्वेक्षण में मोटर मार्ग वास्तविक लम्बाई 10.40 कि०मी० है।

उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र के कार्यालय के पत्रांक 8 बी०/यू.सी.पी./06/127/2010 एफ.सी./133 दिनांक 04.05.2010 द्वारा वृक्षों का पातन अधिक होने के कारण निरसत किया गया है। वृक्षों का पातन कम से कम हो इस हेतु संशोधित प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 94 खरादी के कि०मी० 185 से निर्माण प्रारम्भ कर भंसाडी एवं स्यालना गांवों को संयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व में जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। स्वीकृत समरेखण में आरक्षित वनभूमि एवं सिविल सोयम वनभूमि में प्रस्तावित मोटर मार्ग में मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर तथा नापभूमि में 9.00 मीटर चौड़ाई में ली गई है, जिसमें बाधित वृक्षों की सं० 1132 थी। किन्तु भारत सरकार के पत्र में 1132 के स्थान पर त्रुटिवश 1866 दर्शायी गई है।

स्वीकृत समरेखण में कम से कम वृक्षों का पातन हो इसका पूर्ण ध्यान रखा गया है तथा अब प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में आरक्षित वनभूमि एवं सिविल सोयम वनभूमि की लम्बाई 5.200 कि०मी० चौड़ाई 7.00 मीटर एवं नाप भूमि 4.800 कि०मी० चौड़ाई 7.00 मीटर में वृक्षों की पातन सं० आरक्षित वनभूमि में 437 वृक्ष, सिविल सोयम वनभूमि में 91 वृक्ष तथा नापभूमि में 8 वृक्ष कुल (437+91+8) 536 वृक्ष प्रभावित होंगे। आरक्षित वनभूमि लम्बाई 4.70 कि०मी० चौड़ाई 7.00 मीटर में आरक्षित वनभूमि 3.29 है० एवं सिविल सोयम वनभूमि लम्बाई 0.500 कि०मी० चौड़ाई 7.00 मीटर में सिविल सोयम वनभूमि 0.350 है० कुल वनभूमि (3.290+0.350) 3.640 है० एवं नापभूमि 4.800 कि०मी० चौड़ाई 7.00 मीटर में 4.320 है० भूमि प्रभावित होगी।

अतः उक्त संशोधित प्रस्ताव 3.640 है० वनभूमि हस्तान्तरण एवं 536 वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिं०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिं०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)